

2025/793

ग्रामीण सेवा केंद्र-2025 (फॉलोअप)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उपरोक्त प्रकरण - ताराचन्द बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलओ आरओ एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 201 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमधोपुर ने जरिये पत्रांक 25 / भूअ. / 2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम नांगल पटवार हल्का नांगल तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर नं. मुं. खाता संख्या 201 में स्वामि: ताराचन्द पुत्र उभात(म) के स्थान पर ताराचन्द जाट पुत्र उभात(म) का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का नांगल उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का नांगल तहसील श्रीमधोपुर को पालनार्थ।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)



